



जनपद हमीरपुर

थाना-राठ

दिनांक 10.07.2026

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.07.2026 को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त रितेश यादव उर्फ भोलू पुत्र वृन्दावन यादव निवासी पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर को मोर्चरी हाऊस के पास कस्बा राठ के पास से गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना राठ पर मु0अ0सं0 238/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रितेश यादव उर्फ भोलू पुत्र वृन्दावन यादव (उम्र करीब 23 वर्ष) निवासी पठानपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी का स्थान

मोर्चरी हाऊस के पास कस्बा राठ।

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोरा।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 6/2025 धारा 115(2)/126(2)/324(4)/333/352/351(3) बीएनएस थाना राठ जनपद
2. मु0अ0सं0 602/2022 धारा 13 जुआ अधि0 थाना राठ जनपद हमीरपुर।
3. मु0अ0सं0 580/2020 धारा 323/504/325 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पवन चौधरी
2. उ0नि0 नीरज
3. का0 शिवम कुमार